

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 09/04/2024

क्रमांक/रीडर/2024/153/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 153 / 2024 अनवान रमेश चन्द पुत्र कजोड़ खाती निवासी बरदपुरा, रामस्वरूप पुत्र कजोड़ खाती निवासी बरदपुरा बनाम विष्णु कुमार पिता जगदीश शर्मा निवासी बरदपुरा, पिंटू कुमार पिता जगदीश शर्मा निवासी बरदपुरा, रामनारायण पिता भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, मोतीलाल पिता भजन भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, भुवाना पिता भूरा मीणा निवासी भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, सत्यनारायण पिता भागुता मीणा निवासी भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, बालू पिता कल्याण मीणा निवासी भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, सोजी पिता हजारी बलाई निवासी भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, भवानी शंकर पिता सुखा मीणा निवासी भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, नन्द लाल पिता हीरा लाल मीणा निवासी भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, कैलाश पिता छित्तर खाती निवासी भज्जा मीणा निवासी बरदपुरा, कस्तूर पिता छीतर खाती निवासी बरदपुरा, भागुता पिता खाना मीणा निवासी बरदपुरा, भूरालाल पिता हजारी मीणा निवासी बरदपुरा, सोजी पिता खाना मीणा निवासी बरदपुरा, मस्तान सिंह मीणा पिता मीणा निवासी बरदपुरा, रामचंद्र पिता भूरा मीणा निवासी बरदपुरा, मोहन पिता मांगीलाल मीणा निवासी बरदपुरा, बुद्धि प्रकाश पिता गोपाल मीणा निवासी बरदपुरा, हरि सिंह पिता हजारी मीणा निवासी गाडोली, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1305, 1350, 1358, 1360, 1361 कुल किता 05 रकबा 1.1897 हेक्टेयर व ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 100, 12, 13, 14 कुल किता 04 रकबा 1.6673 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रमेश चन्द पुत्र कजोड़ खाती निवासी बरदपुरा वगैरह

बनाम

विष्णु कुमार पिता जगदीश शर्मा निवासी बरदपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 153/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
09-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में मैं ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1305, 1350, 1358, 1360, 1361 कुल किता 05 रकबा 1.1897 हेक्टेयर व ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 100, 12, 13, 14 कुल किता 04 रकबा 1.6673 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1305, 1350, 1358, 1360, 1361 कुल किता 05 रकबा 1.1897 हेक्टेयर व ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 100, 12, 13, 14 कुल किता 04 रकबा 1.6673 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

राजस्थान-सरकार